Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.45269, JULY-AUG 2017, VOL- 4/35

ch-,M- çf'k{k.kkfFk;k e f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e&2009 d çfr tkx:drk dk vè;;u

lfer xxokj

पी–एच.डी. शोधछात्र (शिक्षाशास्त्र) (जे.आर.एफ.) शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

Abstract

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध जनपद पीलीभीत के बी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। शोध अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में जनपद पीलीभीत में संचालित बी.एड. महाविद्यालयों में से 110 प्रशिक्षणार्थियों (50 छात्राध्यापक तथा 60 छात्राध्यापिकाओं) का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन द्वारा किया गया प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के मापन हेतु स्वनिर्मित शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के संदर्भ में मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषणोपरांत मुख्य निष्कर्ष यह पाया गया कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता में (0.05 स्तर पर) कोई भी सार्थक अंतर नहीं है।

çe[k 'kCnkoyh शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, बी.एड. प्रशिक्षणार्थी, जागरूकता।

Scholarly Research Journal's* is licensed Based on a work at *www.srjis.com

çLrkouk

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है (लाल, 2003)। किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देश की नियति उसकी शिक्षा पद्धति पर निर्भर होती है। विकास के सारे रास्ते शिक्षा से होकर गुजरते हैं क्या सही है और क्या गलत इसका ज्ञान शिक्षा से ही प्राप्त होता है। शिक्षा ही हमें विवेकपरक, दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंग्रेजी साहित्यकार बेकन का यह कथन कि Kku gh 'kfä g शत–प्रतिशत सत्य प्रतीत होता है (दुबे,2009)। 21वीं सदी में चल रहे भारत के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक स्तर पर आज हमारे समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं (मिश्रा,2012)। भारत में शिक्षा की स्थिति एवं प्रत्येक स्तर पर उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात गठित होने वाले आयोगों, समितियों, नीतियों में कई सुझाव प्रस्तुत किए गए इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर चलाई गई विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि की सीमित सफलता के बाद केंद्र सरकार ने बालकों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिकार अधिनियम–2009 (केंद्रीय अधिनियम संख्या–35) जिसे राज्यसभा में 20 जुलाई, 2009 तथा लोकसभा में 4 अगस्त, 2009 को पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार 06–14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1–8 तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने का मूल अधिकार है। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2010 से जम्मू–कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू भी कर दिया गया है (बोर्दिया, 2010)।

vè;;u dh vko';drk

वर्तमान समय में कक्षा 1–8 तक की प्राथमिक शिक्षा को एक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा अधिनियमों को समझ पाता है, अतः सभी को स्वयं के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 सरकार द्वारा कानून के रूप में लागू तो कर दिया गया है परंतु इसके क्रियान्वयन तथा प्रभावशीलता को परिणित होने में सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रति लोगों का जागरुक न होना है। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरुक नहीं हो जाता है तब तक यह अधिकार अधिनियम अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 तभी सार्थक हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम की जानकारी होगी। इस अधिनियम में शिक्षा व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों की जिम्मेदारी, महत्व, भूमिका तथा जवाबदेही निर्धारित की गई है। आज के बी.एड. प्रशिक्षणार्थी भविष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत होंगे अतः इस अधिनियम के प्रति जागरुक होने से वे सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संबंधी योजनाओं के साथ–साथ इस अधिनियम में वर्णित विधानों को भी अपने विद्यालयों में समावेशित कर सकेंगे। जिसके फलस्वरुप वे शिक्षा के स्तर तथा गुणवत्ता को उसी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर सकेंगे जिस स्तर के लिए यह वांछित है।

vè;;u dk mís';

वर्तमान शोध के परिप्रेक्ष्य में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वे निम्नलिखित हैं–

1. बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विज्ञान तथा गैर विज्ञान विषयों वाले बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

vè;;u dh ifjdYiuk,¡

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निमित्त निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया–

1. बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. विज्ञान तथा गैर विज्ञान विषयों वाले बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

'kks/k ;kstuk

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मात्रात्मक शोध उपागम को आधार माना गया है जिसके लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

çfrn'kZ p;u

वर्तमान शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध जनपद पीलीभीत के बी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत 110 प्रशिक्षणार्थियों (50 छात्राध्यापक तथा 60 छात्राध्यापिकाओं) का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रविधि से किया गया।

'kks/k midj.k

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदत्त संकलन के लिए स्वनिर्मित शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरुकता मापनी प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली नामक उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण किया गया–

çFke pj.k

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया। न्यादर्श के स्वरूप तथा अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली के निर्माण की योजना बनाई गई।

f}rh; pj.k

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली निर्माण हेतु समस्या से संबंधित साहित्य के अवलोकन के अतिरिक्त शिक्षा विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग, बिड़ला परिसर के विभिन्न प्राध्यापकों तथा शोधार्थियों से विचार करने के पश्चात प्रश्नावली का प्रारंभिक प्रारूप निर्धारित किया गया जिसमें 35 बहुविकल्पीय

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रश्नों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली में संग्रह की दृष्टि से लिखा गया।

r`rh; pj.k

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली के प्रारम्भिक प्रारूप को बरेली कॉलेज, बरेली में जाकर 106 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों पर पूर्व परीक्षण किया गया। जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रशिक्षणार्थियों को कौन–कौन से प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तथा वे कौन–कौन से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पूर्व परीक्षण में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रारंभिक प्रारूप में से 15 प्रश्नों को हटा दिया गया एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली में पुनः सुधार किया गया।

prFke pj.k

शिक्षकों की राय लेने तथा पूर्व परीक्षण के पश्चात प्रश्नों की भाषा को पुनः परिष्कृत किया गया साथ ही साथ उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रश्नों को भी प्रश्नावली में सम्मिलित तथा परिवर्तित किया गया। इस प्रकार से 20 प्रश्नों का निर्माण अंतिम रुप से किया गया।

ikpe pj.k

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रशासन शिक्षा विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तरखंड के बिड़ला परिसर के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों पर 14 दिनों के अंतराल पर दो बार किया गया। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात यह पाया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली की विश्वसनीयता का स्तर 0.86 है।

vfre pj.k

शोधार्थी द्वारा उक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रश्नावली को आवश्यक निर्देशों एवं सूचनाओं सहित मुद्रण कराया गया तत्पश्चात इसका प्रशासन जनपद–पीलीभीत में अध्ययनरत बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों पर किया गया।

lkf[;dh; çfofèk;k

प्रयोज्यों से एकत्रित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया।

çnÙkksa dk fo'ys"k.k] 0;k[;k ,oa fu"d"kZ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राप्त प्रदत्तों को विश्लेषित करके उसकी व्याख्या एवं निष्कर्ष को निम्न प्रकार वर्णित किया गया है–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Nk=kè;kidkå rFkk Nk=kè;kfidkvkå dh f'k{kk ds vfèkdkj vfèkfu;e&2009 ds çfr tkx:drk dk rqyukRed vè;;u rkfydk l[;k&2

pj	N	ekè;	ekud fopyu	t	Lokr«; dh ek=k	lkFkZdrk Lrj
छात्राध्यापक	50	8.66	2.77			
छात्राध्यापिकायें	60	8.33	2.65	0.538	108	0.05
योग	110					

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के बी.एड .महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता की तुलना करने पर पाया गया कि छात्राध्यापकों की जागरूकता का माध्य 8.66 तथा मानक विचलन 2.77 है। छात्राध्यापिकाओं की जागरूकता का माध्य 8.33 तथा मानक विचलन 2.65 है। दोनों चरों के मध्य टी–अनुपात का मान 0.538 है। जोकि 0.05 सार्थकता स्तर पर 108 स्वातंत्र्य की मात्रा के सारणीयन मान 1.98 से कम है अतः हमारी शून्य परिकल्पना बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है। चूंकि हमारी शून्य परिकल्पना छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत होती है अतः हम कह सकते हैं कि छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है।

foKku rFkk xSj foKku oxZ ds çf'k{k.kkfFkZ;kas dh f'k{kk ds vfèkdkj vfèkfu;e&2009 ds çfr tkx:drk dk rqyukRed vè;;u rkfydk l[;k&3

pj	N	ekè;	ekud fopyu	t	Lokr«; dh ek=k	lkFkZdrk Lrj
छात्राध्यापक	45	8.20	2.59			
छात्राध्यापिकायें	65	8.72	2.79	1.003	108	0.05
योग	110					

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के बी.एड. महाविद्यालयों के विज्ञान तथा गैर विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता की तुलना करने पर पाया गया विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का माध्य 8.20 तथा मानक विचलन 2.59 है। गैर विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का माध्य 8.72 तथा मानक विचलन 2.79 है। दोनों चरों के बीच टी–अनुपात का मान 1.003 है जोकि 0.05 सार्थकता स्तर पर 108 स्वातंत्र्य की मात्रा के सारणीयन मान 1.98 से कम है अतः हमारी शून्य परिकल्पना विज्ञान तथा गैर विज्ञान विषयों वाले बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई

सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है। चूंकि हमारी शून्य परिकल्पना विज्ञान तथा गैर विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है अतः हम कह सकते हैं कि के विज्ञान तथा गैर विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है।

xkeh.k rFkk 'kgjh ifjo'k d çf'k{k.kkfFk;k dh f'k{kk d vfèkdkj vfèkfu;e&2009 d çfr tkx:drk dk rqyukRed vè;;u rkfydk l[;k&4

pj	N	ekè;	ekud fopyu	t	Lokr«; dh ek=k	lkFkd rk Lrj
छात्राध्यापक	55	8.54	2.92			
छात्राध्यापिकायें	55	8.47	2.51			
योग	110			0.135	108	0.05

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के बी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता की तुलना करने पर पाया गया कि ग्रामीण परिवेश के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का माध्य 8.54 तथा मानक विचलन 2.92 है। शहरी परिवेश के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का माध्य 8.47 तथा मानक विचलन 2.51 है। दोनों चरों के मध्य टी–अनुपात का मान 0.135 है जो 0.05 सार्थकता स्तर पर 108 स्वातंत्र्य की मात्रा के सारणीयन मान 1.98 से कम है अतः हमारी शून्य परिकल्पना ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है। चूंकि हमारी शून्य परिकल्पना ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के मध्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है।

vè;;u dk 'kf{kd egRo

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यह सर्वविदित है कि वर्तमान के बी.एड. प्रशिक्षणार्थी ही भविष्य में उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनेंगे। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के त्रिभुजीय सिद्धांत के अनुसार शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में एक आधार तत्व शिक्षक भी होता है। जिसके ऊपर शिक्षा का ऐसा दायित्व है जो उसके अंदर कई योग्यताओं की समन्वित होने की आकांक्षा रखता है। जिनकी सहायता से वह विद्यालय में शिक्षण अधिगम का उचित वातावरण तैयार कर सके और शिक्षण के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें प्रस्तुत अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

1. यह शोध अध्ययन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु भावी शिक्षकों को आधार प्रदान करेगा।
2. यह शोध कार्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके कर्तव्य तथा दायित्वों के प्रति जागरुक बनाने में सहायता करेगा।
3. यह शोध अध्ययन शिक्षाविदों एवं वर्तमान सरकार को प्राथमिक शिक्षा की स्थिति से अवगत कराने में तथा भविष्य में नए कदम व योजनाओं को आरंभ करने में सहायता प्रदान करेगा।

lanHk lwph

अम्बेकर. आर. एल. (2012). मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण. प्राथमिक शिक्षक. 1, पृष्ठ संख्या. 66–71.

भारती, जी. (2009). शिक्षकों की सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता का अध्ययन (अप्रकाशित एम. एड. लघुशोध ग्रंथ). हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड.

बोर्दिया, ए. (2010). शिक्षा के अधिकार का कानून– एक विहंगावलोकन. औपचारिका. पृष्ठ संख्या. 13–17.

दुबे, एस. (2013). शिक्षा की नवीन दार्शनिक पृष्ठभूमि. इलाहाबाद : अनुभव पब्लिकेशन हाउस. पृष्ठ संख्या. 16–20.

गंगवार, एस. (2013). शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अप्रकाशित एम. एड. लघुशोध ग्रंथ). बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश.

गुप्ता, एस. पी. तथा गुप्ता, ए. (2009). भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें. इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन. पृष्ठ संख्या. 101–274.

कपिल, एच. के. (2009). अनुसंधान विधियाँ. आगरा : एच. पी. भार्गव बुक डिपो. पृष्ठ संख्या. 212–256.

लाल, आर. बी. (2014). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार. मेरठ रस्तोगी पब्लिकेशन. पृष्ठ संख्या. 1–26.

लाल, आर. बी. तथा शर्मा, के. (2014). भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें. मेरठ : आर. लाल बुक डिपो. पृष्ठ संख्या. 328–331.

लाल, आर. बी. तथा शर्मा, के. (2014). भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें. मेरठ : आर. लाल बुक डिपो. पृष्ठ संख्या. 350–380.

मिश्रा, एस. (2013). भारत में शिक्षा व्यवस्था. मेरठ : आर. लाल बुक डिपो. पृष्ठ संख्या. 464–480.

सिंह, ए. के. (2013). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. दिल्ली : मोतीलाल बनरसीदास. पृष्ठ संख्या. 250–262.

सिंह, ए. के. (2013). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. दिल्ली : मोतीलाल बनरसीदास. पृष्ठ संख्या. 396–442.

सुलेमान, एम. (2016). मनोविज्ञान, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी. दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास. पृष्ठ संख्या. 283–307.

http://wikipedia/rte.org

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies